

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड बांदा

सेवा में,

सूचना निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पत्रांक / ल0डा0न0ख0बां0 / एस-8 / नीलामी / दिनांक: बांदा 2016

विषय:- नीलामी की सूचना 01 / ल0डा0न0ख0बां0 / एस-8 / 2016-17

महोदय,

उपरोक्त विषयक नीलामी सूचना 01 / ल0डा0न0ख0बां0 / एस-8 / 2016-17 की सात प्रतियों सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस सूचना को वेबसाइट तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में दो दिन के अन्तराल में कम से कम दो बार जोकि इस क्षेत्र में प्रचलित है प्रकाशित कराने की कृपा करें तथा पुष्टि हेतु इनकी एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- नीलामी की सात प्रतियाँ
सी0डी0 1 अदद।

अधिशारी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड बांदा

पत्रांक 153 / ल0डा0न0ख0बां0 / एस-8 / नीलामी / दिनांक: बांदा 15/8/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता (यॉंत्रिक) सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (न0म0) सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन प्रथम/द्वितीय गंगा सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल बांदा/झॉसी।
5. अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्यमण्डल बांदा।
6. जिलाधिकारी बांदा।
7. पुलिस अधीक्षक बांदा।
8. अधीक्षण अभियन्ता कम्प्यूटर केन्द्र सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सी0डी0 सहित विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ।
9. अधिशारी अभियन्ता नलकूप खण्ड उरई/हमीरपुर/बांदा।
10. अधिशारी अभियन्ता डाल नहर खण्ड झॉसी।
11. अधिशारी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड हमीरपुर।
12. सहायक अभियन्ता प्रथम लघु डाल नहर खण्ड बांदा को नीलामी की व्यवस्था करने हेतु प्रेषित है।
13. सहायक अभियन्ता द्वितीय/तृतीय उपखण्ड कर्वी./बवेरू।
14. जिला सूचना अधिकारी बांदा।
15. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार सी0डी0

अधिशारी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड बांदा
15/8/16

**कार्यालय अधिशासी अभियंता
लघु डाल नहर खण्ड बाँदा**

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या 01/ल0डा0न0ख0बां0/एस-8/2016-17


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार खण्ड में उपलब्ध निष्प्रोज्य सामग्री की नीलामी उनके सम्मुख अंकित तिथि को कार्यालय अधिशासी अभियंता लघु डाल नहर खण्ड बाँदा पुलिस लाइन के पास केन्द्रीय भण्डार बाँदा में पूर्वान्ह 11.00 बजे निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी।

निष्प्रोज्य सामग्री इस खण्ड के अन्तर्गत बाँदा स्थिति केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध है।

क्र०स०	निष्प्रोज्य सामग्री	स्थान जहाँ निष्प्रोज्य सामग्री उपलब्ध है	मात्रा (मी०टन में)	नीलामी का दिनांक	धरोहर धनराशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5	6
1	स्टील स्कैप	केन्द्रीय भण्डार बाँदा	24.072	22-09-2016	0.42
2	कास्ट आइरन स्कैप	केन्द्रीय भण्डार बाँदा	0.349	22-09-2016	0.01

नीलामी की मुख्य शर्तें:-

- नीलामी में भाग लेने हेतु उक्त विवरण में अंकित जमानती धरोहर धनराशि जो राष्ट्रीय बचत पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर०/ राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अधिशासी अभियंता लघु डाल नहर खण्ड बाँदा के नाम बन्धक हो, प्रत्येक बोली दाता को अलग-2 नीलामी तिथि के तीन(03) दिन पूर्व अर्थात् दिनांक-19-9-2016 को जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नीलामी में भाग लेना कदापि सम्भव नहीं होगा।
- बोलीदाता को अपना फोटो, पहचान पत्र, निवास स्थान कार्यालय के पते तथा दूरभाष संख्या नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नीलामी की बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- उपरोक्त निष्प्रोज्य सामग्री जहाँ है जैसा भी है के आधार पर नीलामी की जायेगी।
- उपरोक्त निष्प्रोज्य सामग्री की निरीक्षण 05-09-2016 से 09-09-2016 तक किसी भी कार्यालय दिवस में किया जा सकता है।
- नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोलीदाता को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।
- नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने पर एक माह के अन्दर एक मुश्त शेष धनराशि जमा करनी होगी एवं सम्पूर्ण धनराशि पर निम्नानुसार वैट बिक्रीकर अथवा अन्य कर जो भी हो अलग से जमा करनी होगी।
- बिक्रीकर अथवा अन्य कर सहित सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय पर जमा न करने पर पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
- सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के एक माह के अन्दर सामान उठाना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर सम्पूर्ण धनराशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से किराया व देखरेख प्रभार अतिरिक्त जमा करने के उपरान्त ही सामान उठा सकेगे।
- अधिकतम बोलीदाता को छोड़कर इस मद की जमानत धनराशि बोली समाप्त होने के पश्चात वापिस कर दी जायेगी।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा जो बोलीदाता को मान्य होगी।
- उक्त नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी वाद या प्रकरण का न्याय क्षेत्र बाँदा होगा।
- नीलामी में भाग लेने से पूर्व 25000.00 (पच्चीस हजार रू० मात्र) कार्यालय पर जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा केवल टोकन धारक ही नीलामी में भाग ले सकते हैं यह धनराशि नीलामी समाप्त होने पर समायोजित/वापिस कर दी जायेगी।
- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को आयकर बिक्रीकर विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी नीलामी में भाग ले सकेगा।
- सामान की उपरोक्त मात्रा घट/बढ़ सकती है।


 अधिशासी अभियंता
 लघु डाल नहर खण्ड बाँदा